हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय
HARIDEV JOSHI UNIVERSITY OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION

क्रमांकः प.2(49)एचजेयू/प्रशा/मीटिंग/प्रबो–VI/2023/3630 दिनांक : 12.09.2023

प्रबंध बोर्ड की षष्ठम बैठक दिनांक 04.09.2023 का कार्यवृत्त

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम 2019 की धारा 23 के अन्तर्गत गठित विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड की षष्ठम बैठक दिनांक 04.09.2023 को 11.00 बजे "मन्थन" सभागार, प्रशासनिक भवन, द्वितीय तल, डॉ. सर्वेपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर में आयोजित की गई। बैठक में प्रबंध बोर्ड के उपस्थित पदाधिकारियों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	उपस्थित पदाधिकारी का नाम	पदनाम
1	प्रो. सुधि राजीव	कुलपति एवं अध्यक्ष प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर
2	श्री सुमेर सिंह	कोषाधिकारी जयपुर (शहर) प्रतिनिधि संभागीय आयुक्त, नामनिर्देशिती वित्त विभाग एवं सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर
3	श्रीमती अलका सक्सेना	अतिरिक्त निदेशक, डीआईपीआर (प्रमुख शासन सचिव, सूचना और जनसम्पर्क विभाग द्वारा नामनिर्देशित), एवं सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर
4	श्री सुनील शर्मा	आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान सरकार **ऑनलाइन सहभागिता**
5	डॉ. ऋचा यादव	कुलपति महोदय द्वारा नामनिर्देशित संकाय अध्यक्ष, एचजेयू, जयपुर
6	डॉ. अनिल कुमार मिश्र	कुलपति महोदय द्वारा नामनिर्देशित संकाय अध्यक्ष, एचजेयू, जयपुर
7	प्रो. अनिल कुमार राय	कुलाधिपति महोदय द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद् सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर **ऑनलाइन सहभागिता**

8	श्री रजत शर्मा	कुलाधिपति महोदय द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद् सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर **ऑनलाइन सहभागिता**
9	प्रो. अपूर्वानन्द	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद् सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर
10	श्री अमर सिंह राठौड़	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद् सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर
11	श्री अजय कुमार आर्य	कुलसचिव, एचजेयू एवं सदस्य सचिव, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर
12	प्रो. दीपक भटनागर	परामर्शदाता, अकादमिक एवं विनियमन, एचजेयू, जयपुर विशेष आमंत्रित
13	डॉ. सत्येंद्र बसवाल	वित्त नियंत्रक, एचजेयू एवं विशेष आमंत्रित
14	डॉ. आलोक कुमार श्रीवास्तव	परीक्षा नियंत्रक, एचजेयू एवं विशेष आमंत्रित

बैठक का आरंभ कुलपति प्रो. सुधि राजीव के द्वारा सभी सदस्यों के अभिवादन एवं स्वागत से किया गया। तदुपरान्त बोर्ड के सदस्यों ने नवीन कुलसचिव श्री अजय कुमार आर्य का स्वागत एवं अभिनन्दन किया। बोर्ड के सदस्यों ने विशेष आमंत्रितों की उपस्थिति का संज्ञान लिया।

तत्पश्चात विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 24 में उल्लिखित प्रबंध बोर्ड के कृत्यों / शक्तियों के अनुसार बैठक में कार्यसूची (एजेंडा) पर बिन्दुवार विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। बैठक में पारित निर्णयों / संकल्पों का कार्यसूचीवार विवरण निम्नानुसार है :–

कार्य सूची संख्या	कार्य का संक्षिप्त विवरण
6–1	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर के प्रबन्ध बोर्ड की पंचम बैठक दिनांक 30.11.2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन।
	निर्णय / संकल्प सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई एवं अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया।
6–2	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर की विद्यापरिषद की विशेष बैठक – चतुर्थ दिनांक 03.02.2023 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन।

	निर्णय / संकल्प सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई एवं अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया।
6–3	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर के प्रबंध बोर्ड की विशेष बैठक – प्रथम दिनांक 10.02.2023 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन।
	निर्णय / संकल्प सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई एवं अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया।
6–4	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर के प्रबंध बोर्ड की विशेष बैठक – द्वितीय दिनांक 01.03.2023 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन।
	निर्णय / संकल्प सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई एवं अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया।
6–5	विश्वविद्यालय के विद्यापरिषद की पंचम बैठक दिनांक 13.06.2023 के कार्यवृत्त की पुष्टि।
	निर्णय / संकल्प सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
6–6	विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड की विशेष बैठक तृतीय दिनांक 14.06.2023 के कार्यवृत्त की पुष्टि।
	निर्णय / संकल्प सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
6–7	विश्वविद्यालय के विद्यापरिषद की षष्ठम बैठक दिनांक 01.08.2023 के कार्यवृत्त की पुष्टि।
	निर्णय / संकल्प सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
6–8	प्रबंध बोर्ड की चतुर्थ बैठक दिनांक 28.04.2022 के निर्णय / संकल्प संख्या 4–10 की अनुपालना में विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को CAS के तहत प्रोन्नति के संबंध में सेवावधि की गणना एवं लाभ से संबंधित, परिवेदनाओं के निस्तारण के लिए गठित GRC की रिपोर्ट पर विचार एवं अनुमोदन। सदन द्वारा उक्त रिपोर्ट के अनुमोदन की स्थिति में इसे राज्य सरकार को भिजवाया जाना विचारार्थ एवं निर्णयार्थ। **व्याख्यात्मक नोट (Explanatory Note) :** • मार्च 2019 में विश्वविद्यालय की स्थापना के उपरान्त हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम 2019 की धारा 32(3) के अनुसरण में

	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से स्थानान्तरित होकर 01 प्रोफेसर, 01 एसोसिएट प्रोफेसर एवं 06 असिस्टेंट प्रोफेसरों द्वारा विश्वविद्यालय में 20 जुलाई, 2019 को कार्यभार ग्रहण किया गया। • विश्वविद्यालय द्वारा CAS हेतु आवदेन प्रपत्र तैयार करवा कर सभी कार्यरत शिक्षकों से प्रोन्नति हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए तथा सभी शिक्षकों के आवेदन प्राप्त हो गए हैं। परन्तु साथ ही शिक्षकों द्वारा CAS के संबंध में परिवेदनाएं भी प्राप्त हुईं। प्रबंध बोर्ड की चतुर्थ बैठक दिनांक 28.04.2022 के निर्णय/ संकल्प संख्या 4–10 की अनुपालना में विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को CAS के तहत प्रोन्नति के संबंध में सेवावधि की गणना एवं लाभ से संबंधित, परिवेदनाओं के निस्तारण के लिए Grievance Redressal Committee (GRC) का गठन किया गया। समिति की बैठक दिनांक 11.04.2023 को आयोजित की गई। बैठक का कार्यवृत्त विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।
	<u>निर्णय/संकल्प</u> GRC की रिपोर्ट पर विचार किया गया, इस रिपोर्ट का बिंदु संख्या–3, बिंदु संख्या–2 पर भी लागू किया जाए साथ ही राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाए तथा इस रिपोर्ट का उक्तानुरूप अनुमोदन कर इसे राज्य सरकार को भिजवाए जाने का निर्णय लिया गया।
6–9	डॉ. मनोज कुमार लोढा, एसोसिएट प्रोफेसर के प्रकरण में विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड की पंचम बैठक दिनांक 30.11.2022 के निर्णय/संकल्प संख्या – 5–9 द्वारा अंगीकृत, समिति की रिपोर्ट *(संलग्न)* पर विचार एवं निर्णय। **<u>व्याख्यात्मक नोट (Explanatory Note) :</u>** प्रबंध बोर्ड की पंचम बैठक दिनांक 30.11.2022 के एजेण्डा बिन्दु–5–9 पर कैमरा मीटिंग कर गहन विचार– विमर्श उपरान्त सदन के बहुमत से समिति (प्रबंध बोर्ड की चतुर्थ बैठक दिनांक 28.04.2022 के निर्णय/ संकल्प संख्या–4–11 के अनुसरण में गठित) की रिपोर्ट को अंगीकृत किया गया। वर्तमान बैठक में प्रकरण मय उक्त रिपोर्ट विचार एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।
	<u>निर्णय/संकल्प</u> यह निर्णय लिया गया कि इस बिन्दु पर पूरक एजेंडा 6–13 के साथ विचार किया जायेगा।
6–10	<u>प्रतिवेदनीय एजेंडा</u>

6–10–1	विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2022–23 की पुष्टि। **व्याख्यात्मक नोट (Explanatory Note)** हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा 43 के अनुसार विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2022–23 तैयार कर प्रबंध बोर्ड से अनुमोदन उपरांत राज्य विधानमण्डल में रखने का प्रावधान है। उक्त वार्षिक प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन राज्य सरकार द्वारा तत्काल चाहे जाने पर प्रबंध बोर्ड से अनुमोदन की प्रत्याशा में कुलपति महोदया को अधिनियम की धारा 11(19) में प्राप्त शक्तियों के आधार पर पत्रांक प.2(47) एचजेयू/संस्था./प्रशा. प्रति./2022/18519–27 दिनांक 20.12.2022 द्वारा प्रेषित किया गया है। उक्त वार्षिक प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2022–23 प्रबंध बोर्ड की पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।
	निर्णय/संकल्प सर्वसम्मति से प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2022–23 की पुष्टि की गई।
6–10–2	विश्वविद्यालय के अधिनियम, 2019 की धारा 23 (III)(i) के प्रावधानों के अनुसरण में दो कार्यकारी संकायाध्यक्षों (असिस्टेंट प्रोफेसर) को आदेश जारी किए जाने की तिथि से एक वर्ष अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए प्रबंध बोर्ड में नामनिर्देशित किए जाने संबंधी आदेश क्रमांक 264 दिनांक 18.04.2023 की पुष्टि।
	निर्णय/संकल्प सर्वसम्मति से आदेश की पुष्टि की गई।
6–10–3	विश्वविद्यालय के वर्ष 2023 के अवकाश कलैण्डर संबंधी आदेश क्रमांक 20305 दिनांक 17.03.2023 एवं क्रमांक 1111 दिनांक 30.05.2023 की पुष्टि।
	निर्णय/संकल्प सर्वसम्मति से पुष्टि कर इन्हें सीबीसीएस ऑर्डिनेंस, कालेज शिक्षा आयुक्तालय, राजस्थान विश्वविद्यालय आदि के साथ यथावश्यक समायोजन करने के लिए कुलपति को अधिकृत किया गया।
6–10–4	विश्वविद्यालय को राज्य सरकार से प्राप्त पद–स्वीकृतियों के मद्देनज़र प्रशासनिक विभाग से स्वीकृति पश्चात माननीय कुलपति के अनुमोदन अनुरूप कनिष्ठ लिपिक के रिक्त पद के विरुद्ध श्री हरि शंकर शर्मा, सेवानिवृत कार्मिक के पुनर्नियुक्ति संबंधी आदेश क्रमांक 20294 दिनांक 16.03.2023 की पुष्टि।

	निर्णय / संकल्प सर्वसम्मति से आदेश की पुष्टि की गई।
6–10–5	विश्वविद्यालय को राज्य सरकार से प्राप्त पद–स्वीकृतियों के मद्देनज़र प्रशासनिक विभाग से स्वीकृति पश्चात माननीय कुलपति के अनुमोदन अनुरूप कनिष्ठ लिपिक के रिक्त पद के विरुद्ध श्री प्रभुदयाल शर्मा, सेवानिवृत कार्मिक के पुनर्नियुक्ति संबंधी आदेश क्रमांक 31 दिनांक 05.04.2023 की पुष्टि।
	निर्णय / संकल्प सर्वसम्मति से आदेश की पुष्टि की गई।
6–11	अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदया की अनुमति से।
	पूरक एजेंडा (Supplementary Agenda)
पूरक एजेंडा 6–12	विश्वविद्यालय के विद्यापरिषद की सप्तम बैठक दिनांक 23.08.2023 के कार्यवृत्त मय कुछ सदस्यों की आपत्ति / संशोधन की पुष्टि।
	व्याख्यात्मक नोट (Explanatory Note) : विश्वविद्यालय के विद्यापरिषद की सप्तम बैठक दिनांक 23.08.2023 को आयोजित की गई। उक्त बैठक में प्रस्तुत किए गए, एजेंडा मय समस्त संलग्नक तथा बैठक का कार्यवृत्त अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। बैठक कार्यवृत्त दिनांक 28.08.2023 को जारी कर सदस्यों से आपत्ति / संशोधन चाहे गए थे, जिसके क्रम में कुछ सदस्यों द्वारा कतिपय संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। इन्हें कार्यवृत्त के साथ संलग्न किया जा रहा है।
	निर्णय / संकल्प सदन में विचार–विमर्श किया गया कि इसमें प्रथम तीन ऑर्डिनेंस प्रारूपों (1. Ordinance relating to Recruitment and Service Rules for Teachers and other Academic Staff in University (based on UGC Regulation dated 18th July, 2018). 2. Ordinance for Recruitment and Service Rules for officers in University. 3. Ordinance for Recruitment and Service Conditions for Ministerial Staff of University (Based on The Rajasthan Subordinate Officers Ministerial Service Rules, 1999 and Modification introduced time to time)) की विषय वस्तु विश्वविद्यालय के अधिनियम, 2019 की धारा 44 के अनुसार Statutes की परिधि में आती है। तदनुसार इन्हें परिनियम (Statutes) प्रारूपों के रूप में स्वीकार किया जाए तथा इस आशय की सूचना विद्यापरिषद की आगामी बैठक में दी जाए। यह भी निर्णय लिया गया यदि कि क्रम संख्या 1 पर उद्धृत परिनियम प्रारूप के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा दिनांक 30 जून, 2023 एवं 31 जुलाई, 2023

	की जारी अधिसूचनाओं के अनुरूप राज्य सरकार से वांछित अनुमति (असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर न्यूनतम अर्हता के संबंध में) प्राप्त हो जाती है तो उक्तानुसार परिनियम–प्रारूप में परिवर्तन / संशोधन करने हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया। प्रबंध बोर्ड द्वारा यह भी निश्चित किया गया कि इस बैठक का कार्यवृत्त जारी किए जाने के साथ–साथ ही सभी परिनियम एवं ऑर्डिनेंस प्रारूपों को माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय को अनुमोदन के लिए भिजवा दिया जाए। बैठक कार्यवृत्त के संबंध में कुछ सदस्यों द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर विचार किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि GRC रिपोर्ट के बिंदु संख्या–3 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उक्तानुसार सर्वसम्मति से विद्यापरिषद की सप्तम बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
पूरक एजेंडा 6–13	डॉ. मनोज कुमार लोढा, एसोसिएट प्रोफेसर द्वारा कुलपति एवं अध्यक्ष, प्रबंध बोर्ड तथा कुलसचिव एवं सदस्य सचिव, प्रबंध बोर्ड के समक्ष क्रमशः दिनांक 26.08.2023 एवं 28.08.2023 को 'आगामी प्रबंध बोर्ड की बैठक में न्याय की प्रार्थना' संबंधी पत्र विचारार्थ।
	व्याख्यात्मक नोट (Explanatory Note) : प्रबंध समिति की वर्तमान बैठक दिनांक 04.09.2023 के मूल एजेंडा बिन्दू 6–9 पर प्रबंध बोर्ड की पंचम बैठक (दिनांक 30.11.2022) के निर्णय / संकल्प संख्या 5–9 द्वारा डॉ. मनोज कुमार लोढा, एसोसिएट प्रोफेसर के प्रकरण में अंगीकृत समिति की रिपोर्ट पर विचार किया जाना है। इस संबंध में डॉ. लोढा द्वारा कुलपति एवं अध्यक्ष, प्रबंध बोर्ड तथा कुलसचिव एवं सदस्य सचिव, प्रबंध बोर्ड के समक्ष क्रमशः दिनांक 26.08.2023 एवं 28.08.2023 को आगामी प्रबंध बोर्ड की बैठक में न्याय की प्रार्थना' संबंधी पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त पत्र संलग्न कर सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
	निर्णय / संकल्प गहन विचार–विमर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण में अपनाई गई सम्पूर्ण प्रक्रिया पर विश्वविद्यालय द्वारा कानूनी सलाह प्राप्त की जाए तथा तदनुसार इसे दिनांक 30.09.2023 से पूर्वतर बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत किया जाए। इस बैठक में डॉ. मनोज कुमार लोढा को भी सलाहकार सहित उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए अवसर दिया जाए। तत्पश्चात प्रबंध बोर्ड इस प्रकरण पर अपना निर्णय लेगा।
पूरक एजेंडा 6–14	विश्वविद्यालय की शासी निकाय यथा – सलाहकार परिषद, प्रबंध बोर्ड, विद्यापरिषद, वित्त समिति, संकाय तथा अध्ययन बोर्ड के अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य से आयोजित होने वाली बैठकों में बाहर से पधारे गैर शासकीय सदस्यों को मानदेय के प्रस्ताव तथा उनके आवास, स्थानीय परिवहन, वास्तविक यात्रा व्यय तथा बैठक के दौरान सूक्ष्म जलपान हेतु प्रस्ताव (संलग्न) विचारार्थ।

	निर्णय / संकल्प प्रस्ताव का इस संशोधन के साथ अनुमोदन किया गया कि अध्ययन बोर्ड की बैठकों में भी विश्वविद्यालय के बाहर से पधारे गैर शासकीय सदस्यों को रु. 2,000 / – (दो हजार रुपए) मानदेय दिया जाए। यह निर्णय गत वित्तीय वर्ष के बकाया बिलों पर भी प्रभावी होगा। मानदेय राशि का भुगतान ऑनलाइन तरीके से किया जाए।
	पटल कार्यसूची (टेबल एजेंडा)
6–15	विश्वविद्यालय के कार्य विस्तार होने से, समय–समय पर अन्य कार्यों हेतु, कुलपति महोदया को विश्वविद्यालय के बाहर बैठकों में सम्मिलित होना होता है। इन सभी बैठकों में भाग लेने हेतु विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया को जयपुर से बाहर भी जाना रहता है। (xxx प्रबंध बोर्ड के निर्देशानुसार विलोपित) इसके मध्यनज़र एवं यात्रा के दौरान कुलपति महोदया को सुरक्षा उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अन्य विश्वविद्यालयों में भी कुलपति महोदया को हथियार बन्द सुरक्षाकर्मी की सुविधा उपलब्ध है। अतः विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया की सुरक्षा हेतु एक हथियार बन्द सुरक्षाकर्मी उनकी ड्यूटी अवधि के समय में उपलब्ध करवाया जाने का प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ।
	निर्णय / संकल्प यह निर्णय लिया गया कि एजेंडा विवरण / प्रस्ताव में से दूसरे परिच्छेद की पहली पंक्ति विलोपित की जाए। यह निर्देशित किया गया कि सुरक्षाकर्मी को हायर किए जाने के निमित्त वित्तीय आंकलन एवं उसकी प्रक्रिया निर्धारण कर राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करते हुए आगामी कार्रवाई करें।
6–16	विश्वविद्यालय में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के लिए राज्य सरकार के आरक्षण संबंधी नियमों की अनुपालना में रोस्टर पंजिका से संबंधित प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ।
	निर्णय / संकल्प गहन विचार–विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से रोस्टर पंजिकाओं का अनुमोदन किया गया। यह भी निर्देशित किया गया कि प्रशासनिक विभाग से प्राप्त सभी पद स्वीकृतियों पर भर्ती की वित्तीय स्वीकृति दिए जाने के आशय का पत्र राज्य सरकार को प्रेषित किया जाए। प्रबंध बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि इस बैठक का कार्यवृत्त तैयार किए जाने के साथ–साथ रोस्टर पंजिकाओं के राज्य सरकार को अग्रिम कार्रवाई हेतु भिजवाई जाए।

6–17	विश्वविद्यालय में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों को भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विश्वविद्यालय की वर्तमान वित्तीय स्थिति के मद्देनजर राज्य सरकार को इस कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 709 दिनांक 10.05.2023 प्रेषित कर निवेदन किया गया था कि भर्ती की कार्यवाही करने हेतु राज्य सरकार से रु. 200.00 लाख संभावित वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी। राज्य सरकार से अभी तक उक्त संबंध में कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य सरकार से उक्त वित्तीय सहायता की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उक्त व्यय विश्वविद्यालय की आय से करने के संबंध में प्रकरण विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ।
	<u>निर्णय / संकल्प</u> कुलपति ने बोर्ड को सूचित किया कि प्रबंध बोर्ड की दिनांक 30.11.2022 की पंचम बैठक की कार्यसूची संख्या 5–6 के निर्णयानुरूप विश्वविद्यालय ने National Testing Agency, New Delhi, MNIT, Jaipur RPSC, Ajmer SSB, Jaipur इन चार सरकारी एजेंसियों से भर्ती प्रक्रिया के संचालन हेतु संर्पक किया जिन्होंने इस कार्य के लिए मना किया है। कोषाधिकारी श्री सुमेर सिंह का सुझाव था कि गोपनीयता और शुचिता की दृष्टि से यह कार्य विश्वविद्यालय को अंदरूनी तौर पर करना चाहिए। इस पर कुलपति महोदया ने बताया कि विश्वविद्यालय के अत्यल्प वित्तीय और मानव संसाधनों के दृष्टिगत यह व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता है। तथैव यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त कर किसी निजी एजेंसी की सेवाएं एतद्र्थ लिया जाना उचित है। प्रबंध बोर्ड द्वारा भर्ती कार्रवाई हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निजी आय से रु. 20 से 30 लाख व्यय किए जाने का अनुमोदन किया गया।

Countersigned by
सुधि राजीव

(प्रो. सुधि राजीव)
कुलपति
कुलपति
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

(अजय कुमार आर्य) RAS
कुलसचिव
कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)